

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.-भूप्रआ/समु/आरआर./11/2/1/2009-10/

दिनांक:

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
अलवर।

विषय:- तहसील मुण्डावर, जिला अलवर के ग्राम बीजवाड़ चौहान की बन्द
की अधिसूचना की प्रति भेजने बाबत।

प्रसंग :- राजस्व ग्रुप-1 विभाग का पत्रांक प.13(5) राज-1/2008 दिनांक
25.09.19

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा तहसील मुण्डावर, जिला अलवर के
ग्राम बीजवाड़ चौहान की बन्द की अधिसूचना दिनांक 25.09.2019 अंतर्गत धारा 106, 107 एवं
108 प्रसारित कर भिजावाई है, जिसकी छायाप्रतियां संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त ग्राम
का नवीन अभिलेख राजस्व एजेंसी को 15 दिवस में सम्मलाकर सूचना मुख्यालय को भी
भिजवायें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

ह०

(महेन्द्र कुमार पारख)
अति०भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/फा/समसंख्यक/ 1936

दिनांक:- 10/10/19

✓प्रतिलिपि:- प्रभारी, आईटी शाखा, मुख्य कार्यालय जयपुर को अधिसूचना की छायाप्रति विभागीय
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु संलग्न प्रेषित है।

10/10/19

अति०भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प0 13(5)राज.-1/2008

जयपुर, दिनांक 25/09/2019

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-106 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि तहसील मुण्डावर जिला अलवर के समस्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना क्रमांक: प0 13(5)राज./ग्रुप-1/2008 दिनांक 14.10.2008 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 139 ग्रामों का सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना दिनांक 05.04.2016, 21.02.2017, 15.09.2017, 15.03.2018, 02.07.2018, 01.08.2018, 07.09.2018, 05.10.2018, 06.02.2019 एवं 08.03.2019 द्वारा बन्द घोषित किया जा चुका है। शेष ग्रामों में से 01 ग्राम यथा बीजवाड़ चौहान का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने के दिनांक से उक्त ग्राम में सर्वेक्षण/तरमीम कार्य बन्द घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

30

(राजेन्द्र सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

R.R.

09-10-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, अलवर।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/01/2009-10/1136 दिनांक 08.07.2019
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, अलवर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RR/221
10/10/19

राजस्थान सरकार
राज. जयपुर
पत्र-प्राप्ति
क्रमांक 594

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प0 13(5)राज.-1/2008

जयपुर, दिनांक 25/09/2019

—: अधिसूचना :—

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-107 व 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि तहसील मुण्डावर जिला अलवर के समस्त ग्रामों के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य जो अधिसूचना क्रमांक: प0 13(5)राज./ग्रुप-1/2008 दिनांक 14.10.2008 के अन्तर्गत प्रारम्भ करवाया जाकर निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू-प्रबन्ध अधिकारी अलवर को अपर भू-अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया था। चूंकि उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 139 ग्रामों में अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना दिनांक 05.04.2016, 21.02.2017, 15.09.2017, 15.03.2018, 02.07.2018, 01.08.2018, 07.09.2018 05.10.2018, 06.02.2019 एवं 08.03.2019 द्वारा बन्द घोषित किया जा चुका है। शेष ग्रामों में से 01 ग्राम यथा बीजवाड़ चौहान का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त 01 ग्राम का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किया जाता है तथा अपर भू-अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

30

(राजेन्द्र सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

R.R.
09-10-19

9/11

10/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, अलवर।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/01/2009-10/1136 दिनांक 08.07.2019
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, अलवर।
6. रक्षित पत्रावली।

RR/222
25/9/19

राजस्थान सरकार
राजस्व विभाग
पत्र-प्राप्ति
क्रमांक 595

संयुक्त शासन सचिव